मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
मंत्रालय भोपाल

भोपाल, दिनांक 14/02/2022

क्रमांक एफ 16-22/2021/ए-ग्यारह:- राज्य शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया गया कि मेसर्स डॉबर इंडिया लि. द्वारा स्मार्ट इण्डस्ट्रीयल पार्क पीथमपुर जिला धार में रूपये 570.00 करोड़ के कुल पूंजी निवेश (प्लांट मशीनरी एवं भवन में रू. 550 करोड़) से दो चरणों में खाद्य, आयुर्वेदिक एवं पर्सनल केयर प्रोडक्ट निर्माण परियोजना स्थापना संबंधी प्रस्ताव पर निम्नानुसार सुविधाएं दी जाये-

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता:-** उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अन्तर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 25 प्रतिशत की स्थिर दर से 7 वर्ष की अवधि में बिना किसी सीमा के शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को योजना अन्तर्गत प्रावधानित निर्यात एवं रोजगार गणक का लाभ शर्तों के अध्याधीन पृथक से प्राप्त होगा।
2. **विद्युत शुल्क से छूट –** वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 10 वर्षों हेतु दी जाये।
3. **विद्युत टैरिफ में प्रतिपूर्ति** - परियोजना अन्तर्गत लिये गये नवीन विद्युत कनेक्शन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की दिनांक से 5 वर्षो हेतु प्रचलित विद्युत टैरिफ में रूपये 1/- प्रति यूनिट की दर से छूट दी जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।
4. **भूमि संबंधी रियायत –** इकाई को आवंटित भूमि हेतु देय राशि के भुगतान में हुये विलम्ब पर अधिरोपित ब्याज से छूट दी जाये।
5. **प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति** - कंपनी द्वारा नवीन कर्मचारियों को दिये गये प्रशिक्षण पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति रू. 3000 प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष की दर से 10 वर्षो हेतु, कुल अधिकतम सीमा रू. 80.00 लाख तक की जाये।
6. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2021) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तो के अध्याधीन प्राप्त होगा।
7. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से, प्रतिबद्ध निवेश के साथ, 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।
8. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्र. एफ एफ 16-22/2021/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 14/02/2022

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
2. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ऊर्जा विभाग, तकनीकि शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, वाणिज्यिक कर विभाग, उद्यानिकी एवं खाद्यय प्रसंस्करण विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि., भोपाल।
5. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर ।
6. कलेक्टर, जिला धार।
7. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, मेसर्स डॉबर इंडिया लि., कार्पोरेट ऑफिस, कौशंबी (Kaushambi), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201010.

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग